

### सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री योगेन्द्र कुमार पिता श्री तुलसी साव एवं श्री चितरंजन कुमार पिता श्री तुलसी साव निवासी ग्राम: कुमरांग खुर्द, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुमरांग खुर्द, थाना सं: 51 (रैयती भूमि); खाता सं. 12 के अधीन प्लॉट सं. 53, 136, 141, 263, 264, 265 और 295, खाता सं. 17 के अधीन प्लॉट सं. 361, खाता सं. 14 के अधीन प्लॉट सं. 137, खाता सं. 10 के अधीन प्लॉट सं. 332 और खाता सं. 8 के अधीन प्लॉट सं. 338 और 138; कुल रकबा - 04.00 एकड़ (रैयती) भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुमरांग खुर्द, थाना सं: 51 (रैयती); खाता सं. 12 के अधीन प्लॉट सं. 53, 136, 141, 263, 264, 265 और 295, खाता सं. 17 के अधीन प्लॉट सं. 361, खाता सं. 14 के अधीन प्लॉट सं. 137, खाता सं. 10 के अधीन प्लॉट सं. 332 और खाता सं. 8 के अधीन प्लॉट सं. 338 और 138; कुल रकबा - 04.00 एकड़ (रैयती) भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री योगेन्द्र कुमार पिता श्री तुलसी साव एवं श्री चितरंजन कुमार पिता श्री तुलसी साव निवासी ग्राम: कुमरांग खुर्द, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

ज्योत्सना